



राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड,

एस.जी.आर.- ।, नेहरू नेहरू प्लेस टोंक रोड, जयपुर

— 0141-2742866, 2742724

बिड प्रपत्र

बिड शुल्क : 1180.00 जीएसटी सहित	बिड प्रपत्र संख्या :	जारीकर्ता के हस्ताक्षर
---------------------------------	----------------------------	------------------------

- बिड जमा कराने की अन्तिम तिथि 30.06.2025 समय : दोपहर 1.00 बजे तक
- बिड खोलने की तिथि 30.06.2025 समय : दोपहर 3.00 बजे
- स्थान :— राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. मेडीकल अनुभाग, एस.जी.आर.— ।, नेहरू नेहरू प्लेस टोंक रोड, जयपुर।

बोलीदाता का नाम/संस्था/फर्म :

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर के विभिन्न मेडिकल दवा गोदामों से मेडिकल अनुभाग की जयपुर जिला एवं निवाई (टोंक) स्थित सहकारी दवाओं की दुकानों पर दवाईयों की सप्लाई के परिवहन हेतु लोडिंग वाहन (हल्के चार पहिया वाहन) मय वाहन चालक उपलब्ध करवाने हेतु आमंत्रित बिड की शर्तें व नियमों तथा कार्य विवरण को मैंने/हमने भली भांति पढ़ लिया है एवं मुझे/हमें स्वीकार्य है तथा इसके लिये मैं/हम निम्न दरें बिड प्रपत्र में अंकित शर्तों के अनुरूप देते हैं :—

(A) उपलब्ध करवाये जाने वाले लोडिंग वाहन का विवरण व दरें :—

क्र.सं.	गाड़ी का विवरण	विवरण एवं दरें
1	गाड़ी का प्रकार	
2	गाड़ी का मैक/मॉडल	
3	गाड़ी की क्षमता(न्यूनतम 2 टन)	
4	गाड़ी का रजिस्ट्रेशन	
5	गाड़ी का किराया (परिचालन प्रतिमाह 3000किमी तक) मासिक दर (अंकों में) जीएसटी सहित मासिक दर (शब्दों में) जीएसटी सहित	
6	गाड़ी का किराया (परिचालन प्रतिमाह 3000 कि.मी. के पश्चात) दर प्रति किलोमीटर (अंकों में)With GST दर प्रति किलोमीटर (शब्दों में)With GST	

1

हमें उक्त एवं संलग्न शर्तें मान्य हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
(मय नाम, सील एवं मो. नं. सहित)



राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड,

एस.जी.आर.- I, नेहरू नेहरू प्लेस टॉक रोड, जयपुर

— 0141—2742866, 2742724

(B) बिड़ सिक्योरिंग डिक्लेयरेशन संलग्न करें
(संलग्नक "क")

(C) अन्य विवरण

1. आयकर अधिनियम द्वारा जारी शोध प्रमाण—पत्र मय सर्किल एवं विवरण
2. बोलीदाता पंजीकृत ट्रांसपोर्ट/कम्पनी/सोसायटी हो, तो उसका विवरण
3. उक्त कार्य का पूर्व अनुभव का विवरण, यदि कोई हो, तो मय प्रमाण—पत्र के संलग्न करें
4. बोलीदाता का टेलीफोन एवं मोबाईल दूरभाष नम्बर

विशेष नोट :-

1. उक्त बोली आवेदक बोलीदाता द्वारा निर्धारित बिड़ प्रपत्र में सीलबन्द लिफाफे में ही दी जानी है। बिड़ सिक्योरिंग डिक्लेयरेशन एवं अनुभव प्रमाण—पत्र बिड़ प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
2. बोली जमा कराने की अन्तिम दिनांक 30.06.2025 दोपहर 1.00 बजे तक है।
3. बोली दिनांक 30.06.2025 को ही दोपहर 3.00 बजे बिड़ समिति एवं उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
4. बोली के साथ विभिन्न मेडिकल दवा गोदामों से मेडिकल अनुभाग की विभिन्न सहकारी दवाओं की दुकानों पर दवाईयों की सप्लाई के परिवहन हेतु लोडिंग वाहन (हल्के चार पहिया वाहन) उपलब्ध करवाने संबंधी कार्य की अनुमानित लागत लगभग 6.00 लाख रुपये के लिये अमानत राशि के स्थान पर राज्य सरकार के आदेशानुसार संलग्न घोषणा पत्र (बिड़ सिक्योरिंग डिक्लेयरेशन) प्रस्तुत करना होगा (संलग्नक "क") तथा 31.12.2021 के बाद राज्य सरकार के तत्समय आदेशानुसार बिड़ सिक्योरिटी राशि के सम्बन्ध में कार्यवाही की जावेगी। सफल बोलीदाता को नियमानुसार 2 प्रतिशत बिड़ सिक्योरिटी राशि जमा करानी होगी।
5. सर्वत बोली मान्य नहीं होगी।



राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड,

एस.जी.आर.-१, नेहरू नेहरू प्लेस टॉक रोड, जयपुर

— 0141-2742866, 2742724

विभिन्न मेडिकल दवा गोदामों से मेडिकल अनुभाग की विभिन्न सहकारी दवाओं की दुकानों पर दवाईयों की सप्लाई के परिवहन हेतु लोडिंग वाहन (हल्के चार पहिया वाहन) उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक अनुबन्ध की शर्तें :-

1. बोलीदाता ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय हेतु पंजीकृत फर्म/कम्पनी/संस्था/सोसायटी द्वारा ही दी जानी चाहिए, इसका प्रमाणिक अभिलेख बोली के साथ संलग्न करना होगा।
2. बोलीदाता के पास स्वयं/फर्म के नाम से पंजीकृत वाहन होना आवश्यक है तथा बोलीदाता का कार्यालय जयपुर में होना आवश्यक है।
3. बोलीदाता साझेदारी फर्म की स्थिति में उक्त बिड़ प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में फर्म के प्रत्येक साझेदार के हस्ताक्षर अथवा साझेदारों की ओर से किसी एक साझेदार को अधिकृत करने की स्थिति में पॉवर ऑफ अंटार्नी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। बिड़ स्वीकृति के पश्चात् बोलीदाता के संविधान में कोई परिवर्तन बोलीदाता के पूर्व सदस्यों के अनुबन्ध के उत्तरदायित्वों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा। इसी प्रकार जब तक इस अनुबन्ध के वाहन को नया साझेदार स्वीकार नहीं करें तब तक कोई नया साझेदार स्वीकार नहीं किया जावेगा।
4. बोलीदाता कम्पनी/सोसायटी होने पर अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही बिड़ भरी जावेगी। प्राधिकृत प्रतिनिधि को अपना अधिकृत पत्र बिड़ के साथ प्रस्तुत करना होगा।
5. बोलीदाता द्वारा उपलब्ध करवाया जाने वाला वाहन 8 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए तथा उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन का किराया 3000 किलोमीटर प्रतिमाह न्यूनतम रनिंग मानते हुए मासिक किराया दर जीएसटी सहित बिड़ में अंकित करनी होगी एवं न्यूनतम रनिंग के पश्चात की दरें प्रति किलोमीटर के (जीएसटी सहित) अलग से अंकित करनी होगी। न्यूनतम परिचालन 3000 किलोमीटर प्रतिमाह की दर एवं न्यूनतम परिचालन से अधिक चलने पर दर प्रति किलोमीटर में पृथक—पृथक बोलीदाताओं के न्यूनतम होने पर हाईब्रिड फार्मूला के अनुसार गत वर्ष के औसत परिचालन 3300 किलोमीटर के हिसाब से गणना करने पर जो न्यूनतम होगा, उसे सफल निविदादाता घोषित किया जा सकेगा।
6. बोलीदाता द्वारा बिड़ में दी गई दरें अनुबन्ध की तिथि से 01 वर्ष के लिए मान्य होगी एवं आपसी सहमति से इस अवधि को नियमानुसार विस्तारित किया जा सकेगा।
7. बोलीदाता द्वारा लोडिंग कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये वाहन तथा वाहन के उपयोग में होने वाले समस्त खर्च यथा—डीजल, पेट्रोल, ऑयल, ड्राईवर का वेतन, मरम्मत व वाहन का बीमा आदि स्वयं वहन करने होंगे। टोल टैक्स का वास्तविक व्यय टोल पर्ची उपलब्ध कराने पर संघ द्वारा पुनर्भरण किया जावेगा।
8. बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन एवं वाहन चालक द्वारा कोई दुर्घटना घटित होती है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। संघ का कोई प्रभार या उत्तरदायित्व नहीं होगा।
9. बोलीदाता को अपना वाहन अनिवार्य रूप से प्रत्येक दिवस को (राजपत्रित अवकाश एवं रविवार सहित) प्रातः 8 बजे से सांय 6 बजे तक उपलब्ध कराना होगा। किसी दिन



राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड,

एस.जी.आर.- १, नेहरू नेहरू प्लेस टोंक रोड, जयपुर

— ०१४१—२७४२८६६, २७४२७२४

वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर नियमानुसार प्रतिदिन की कटौती कर ली जावेगी। साथ ही अन्य कोई वाहन बाजार से किराये पर लेकर कार्य किया जाता है, तो अन्तर की राशि की वसूली बोलीदाता से की जावेगी। निर्धारित समय में विलम्ब से वाहन उपलब्ध कराने पर आनुपातिक कार्य समय के आधार पर विलम्ब शुल्क १००/- प्रति घन्टे की दर से बिल में से कटौती की जावेगी।

10. बोलीदाता को दवाईयों की सुरक्षा के लिये धूप/वर्षा से बचाव की पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी अन्यथा होने वाली समस्त हानि का दायित्व बोलीदाता का होगा।

11. बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाला वाहन पूर्णतः रनिंग कण्डीशन में होना चाहिए एवं बोलीदाता द्वारा उपलब्ध करवाये गये वाहन से सम्बन्धित निम्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ बिड़ के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है:-

- 1 वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण—पत्र(इकरारनामा स्वीकार्य नहीं होगा)
- 2 परमिट
- 3 वैध ड्राईविंग लाइसेन्स
- 4 बीमा के प्रपत्र
- 5 प्रदूषण का प्रमाण—पत्र
- 6 फिटनेस प्रमाण—पत्र

तकनीकी मूल्यांकन के समय उक्त मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही बोलीदाता को तकनीकी रूप से योग्य घोषित किया जायेगा। वाहन चालक के लाइसेन्स की प्रति कार्यादेश के समय जमा करानी होगी साथ ही मूल लाइसेन्स भी दिखाना होगा।

12. सफल बोलीदाता को बिड़ की अनुमानित राशि का २ प्रतिशत बिड़ सिक्योरिटी राशि १२,०००/- का डी.डी. “राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर” के नाम से जमा करवाना होगा, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। बोलीदाता द्वारा निष्पादित किये गये अनुबन्ध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमा की गई कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

13. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 75 के अनुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि सफल बोलीदाता को बिड़ सिक्योरिटी राशि २ प्रतिशत समायोजित करते हुए ५.०० प्रतिशत जमा करवानी होगी।

14. बोलीदाता को अपना बिल भुगतान हेतु प्रिन्टेड बिल पर प्रस्तुत करना होगा, जिस पर नियमानुसार टी.डी.एस की कटौती की जावेगी तथा यदि बोलीदाता सर्विस टैक्स देय (जीएसटी) जमा करवाकर चालान की प्रति बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा सर्विस टैक्स (जी.एस.टी) देय नहीं होने पर बोलीदाता को इस आशय का प्रमाण—पत्र संघ को बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा।

15. बोलीदाता द्वारा कार्य सुचारू रूप से नहीं किये जाने पर संघ को यह अधिकार होगा कि वह वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से कार्य करवाने के लिए स्वतंत्र होगा तथा



राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड,

एस.जी.आर.- १, नेहरू नेहरू प्लेस टॉक रोड, जयपुर

— ०१४१—२७४२८६६, २७४२७२४

हर्जे—खर्चे की राशि बोलीदाता के बिल / कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि से वसूल की जा सकेगी। फिर भी कोई राशि बकाया रहती है, तो वैधानिक प्रावधानों के अनुसार उसकी व्यक्तिगत सम्पति से वसूली की जा सकेगी।

16. बोलीदाता को आयकर पैन नम्बर, जीएसटी नम्बर, टेन नम्बर की प्रमाणित प्रति बिड़ के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करनी होगी।
17. बोलीदाता को दैनिक रूप से वाहन चालक द्वारा वाहन की लॉग—बुक संघ द्वारा अनुमोदित प्रारूप में भरनी होगी, जिसे उप प्रबन्धक, गोदाम मेडिकल से प्रमाणित करवाना होगा।
18. निर्धारित तिथि के पश्चात् एवं बिना बिड़ सिक्योरिंग डिक्लेयरेशन के प्राप्त बिड़ मान्य नहीं होगी।
19. बिड़ को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार प्रबन्ध संचालक, कॉनफैड, जयपुर के पास सुरक्षित होगा।
20. श्रम एवं औद्योगिक कानून एवं परिवहन नियम व झग एकट के अधीन समस्त प्रकार के वैधानिक दायित्वों का पालन करने की पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।
21. अनुबन्ध की समयावधि एक वर्ष तक की होगी। बोलीदाता द्वारा अनुबन्ध का निष्पादन 500/- (अक्षरे पाँच सौ रुपये मात्र) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करना होगा। बोलीदाता का कार्य संतोषजनक रहने पर अनुबन्ध अवधि पर करना होगा। बोलीदाता का बढ़ाई जा सकेगी। संघ द्वारा बोलीदाता का नियमानुसार आपसी लिखित सहमति से बढ़ाई जा सकेगी। संघ द्वारा बोलीदाता का कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जावेगा। यदि बोलीदाता द्वारा अनुबन्ध को अनुबन्ध अवधि के दौरान ही समाप्त किया जाता है, तो बोलीदाता की जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि संघ द्वारा जब्त कर ली जावेगी।
22. बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन पर वाहन चालक द्वारा अभद्रता, अनुशासनहीनता तथा अन्य आपत्तिजनक व्यवहार करने पर उन्हें तुरन्त लौटा दिया जायेगा एवं वाहन चालक द्वारा किसी भी प्रकार के कृत्यों के प्रति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संघ का कोई दायित्व नहीं होगा। बोलीदाता को तत्काल प्रभाव से वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अन्य वाहन चालक/वाहन उपलब्ध नहीं कराये बोलीदाता द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में वाहन चालक/वाहन उपलब्ध नहीं कराये जाने पर संघ अपने स्तर से वाहन चालक/वाहन की व्यवस्था करेगा, जिसका समस्त प्रकार का दायित्व बोलीदाता का होगा। उक्त दायित्व की वसूली बोलीदाता के प्रस्तुत बिलों से कर ली जावेगी।
23. बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन चालक के नशे/संदिग्ध अवस्था में पाये जाने पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा तथा बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये संदिग्ध वाहन चालक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जावेगा।
24. बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन के कार्य उपयोग की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की चोरी एवं माल हानि होती है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व बोलीदाता



राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड,

एस.जी.आर.-I, नेहरू नेहरू प्लेस टॉक रोड, जयपुर

— 0141—2742866, 2742724

का होगा। चोरी एवं माल हानि होने की स्थिति में संघ बोलीदाता की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि से वसूली कर सकेगा एवं बकाया रहने पर संघ बोलीदाता से नियमानुसार वसूली कर सकेगा।

25. बोलीदाता द्वारा उपलब्ध करवाये गये वाहन चालक को संघ का कर्मचारी नहीं माना जावेगा एवं इन्हें संघ की ओर से किसी प्रकार का वेतन देय नहीं होगा। बिड़ राशि का भुगतान बोलीदाता को नियमानुसार चैक द्वारा किया जावेगा।

26. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अध्याय 2 के बिन्दु संख्या 7 बोली लगाने वालों की अर्हताएँ के उप बिन्दु 2 के अन्तर्गत —

(ग) बोली लगाने वाला दिवालिया, रिसीवर के अधीन शोधन अक्षम नहीं होगा या परिसमापन नहीं कर रहा होगा, न किसी न्यायालय या किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्यकलाप रखेगा, न अपने कारोबार के क्रियाकलाप निलम्बित रखेगा और न पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक् कार्यवाही के अध्यधीन होगा।

(घ) अपने वृत्तिक आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारम्भ के पूर्ववती तीन वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किये जाने के लिए अपनी अर्हताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दुर्व्यपदेशन सम्बन्धी किसी दांड़िक अपराध के सम्बन्ध में न तो स्वयं, और न उनके निदेशक और अधिकारी दोष सिद्ध हुए हैं, या विवर्जन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथ निरहित हुए हैं।

(ङ) ऐसे हित, जो पूर्व अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विहित और विनिर्दिष्ट किये जायें, के प्रति कोई विरोध नहीं रखेगा, जो उचित प्रतियोगिता को तात्काल रूप में प्रभावित करें।

27. संघ में कार्यरत अधिकारी/कार्मिक (नियमित/संविदा/आउटसोर्स) बिड़ में भाग नहीं ले सकेंगे।

28. बोलीदाता को कॉनफैड की नॉमिनल सदस्यता लेनी होगी।

29. विवाद की स्थिति में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां राजस्थान, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा, जो बोलीदाता को मान्य होगा।

30. RTPP Act 2012 एवं RTPP नियम 2013 की समस्त शर्तें निविदादाता को मान्य होगी।

उपरोक्त निविदा से संबंधित शर्तें मैंने/हमने पढ़ ली हैं और यह शर्तें मुझे/हमें स्वीकार हैं।

Form of Bid-Securing Declaration

Date :
Bid No. :
Alternative No. :

To :

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.
We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely:-

- (a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
- (b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
- (c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
- (d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed; and
- (e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

- (i) we are not the successful Bidder;
- (ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
- (iii) thirty days after the expiration of our Bid;
- (iv) the cancellation of the procurement process; or
- (v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed : _____

Name : _____

In the capacity of : _____

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of : _____

Dated on _____ day of _____
Corporate Seal : _____

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]

25/04/2022
rd

Department Details:

Department Name	Rajasthan State Co-Operative Consumers Federation Limited
Department Type	Autonomous Body
Procuring Entity Name:	Mr. Pradeep Jain
Procuring Entity Contact:	Email: pradeepjain[dot]pop[at]rajasthan[dot]in, Mobile: 9414179498
Office Address:	Rajasthan State Co Operative Consumers Fed. Ltd, CONFED, Second floor, Sahakar Bhawan, Bhawani Singh Road, Jaipur, Jaipur, (Jaipur), PIN:302005, Landline No.:01412742724, Fax No.:01412742724

NIB Details:

NIB Code	CCF2526A0007
NIB Reference no	1210
NIB Publish Date	20/06/2025
NIB Published Bids	1 / 1
NIB Document	[English n हिन्दी] 441.15 KB
NIB Financial Year	2025 - 2026

Bid Details:

UBN	CCF2526SSOB00008
Bid Title	Loading vehicle with Vehicle Driver
Bid Type	Services
Bid Sub Type	Transportation Work
Bid Pattern	Open Competitive Bidding
Bid Amount	₹600000.00
Bid Required in Cover(s)	2
Bid Document	[English n हिन्दी] 4.10 MB
First Appeal Hearing Authority	Managing Director
Second Appeal Hearing Authority	General Manager

Critical Dates:

Bid Uploaded Date	20/06/2025
Bid Publish Date	20/06/2025
Bid Submission End Date	30/06/2025
Bid Open Date	30/06/2025